संख्या-1307/2025/3608/22-2-2023-17(1083)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 04 नवम्बर, 2025*

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी चन्दा पत्नी होतीलाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, कारागार मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी चन्दा पत्नी होतीलाल, पचौरी नगर चंदनियां राजीव इण्टर कालेज के पास, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 21.04.2017 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर श्रीमती मीनू की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-595/2017 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.02.2023 तक अपरिहार 04 वर्ष 06 माह 19 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष 03 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी द्वारा मा० न्यायालय द्वारा दी गयी 10 वर्ष के कारावास के सापेक्ष अपरिहार 04 वर्ष 06 माह 19 दिन की भोगी गयी सजा तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी चन्दा (बन्दी संख्या- 605/2019) पत्नी होतीलाल, निवासी जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1307/2025/3608(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in